

Particulars	Details
Date of issue of NIT	24-12-2024
Date and time for submission of online bid	From 24.12.2024 10:00 AM To 15-01-2025 02.30 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	15.01.2025 on 3:00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	Rs. 590.00 (Rs. 500+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 10,000/- Per Pond
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Incharge (Prodn.) Phone No.- 01498-261261, Email : csf.jetsar@indiaseeds.com

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
- II. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
- III. Bidders must have a valid email id and mobile number.
- IV. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
- V. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
- VI. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
- VII. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
- VIII. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
- IX. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown “form received”. This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
- X. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
- XI. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

- XII. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
- XIII. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
- XIV. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to
- XV. local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
- XVI. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
- XVII. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
- XVIII. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
- XIX. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
- XX. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
- XXI. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Check list for Technical Requirement of Tender

<u>Particulars</u>	<u>Details</u>
Name of the E-Tenderer	
Father name of the E-Tenderer	
Full address of the E-Tenderer	
Mobile number of the E-Tenderer	
E-Mail Id of the E-Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	
Signed copy of term & condition.	
EMD Details (UTR/Reference no., Date and Amount)	
Tender Form Fee Details (UTR/Reference no., Date and Amount)	
License issued by fisheries Department	

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
भारत सरकार का मिनी रत्न
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राजस्थान)

फार्म में पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व पकड़ कर बेचने के लिए ई-निविदा हेतु नियम व शर्तें ।

1. केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर के अधिकार में उपलब्ध निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व पकड़कर बेचने हेतु 2 वर्ष की अवधि (कार्य आदेश जारी करने की तिथि से) का ठेका निश्चित किया गया है। ठेके पर देने हेतु डिग्गीयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

ठेका नं.	डिग्गीयों का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	डिग्गीयों का आकार (मीटर में)	डिग्गीयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में
1	पक्की डिग्गी	खण्ड 1 (चक 3 बी.जी.डी)	102×102×4.2	1	10,000 / -
2	पक्की डिग्गी	खण्ड 1 (चक 1 बी.जी.एम)	110×110×3.9	1	10,000 / -
3	पक्की डिग्गी	खण्ड 2 (चक 3 एम.जी.एम)	102×102×4.2	1	10,000 / -
4	पक्की डिग्गी	खण्ड 3 (चक 5 एम.जी.एम)	100×100×4.5	1	10,000 / -

2. क्रम सं. 1 से 4 तक के लिए धरोहर राशि रु. 10,000 / - प्रत्येक डिग्गी तथा रु 590 / - टेन्डर फीस को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बाजुवाला के खाते में आर.टी.जी.एस/नेफ्ट/ऑन लाईन ट्रान्सफर के माध्यम से जमा करवाना होगा। धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
3. धरोहर राशि के लिए चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को भी निरस्त किया जा सकता है।
4. निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने को अधिकार नहीं होगा।
5. मछली पालन का कार्य 2 वर्ष (कार्य आदेश जारी करने की तिथि से) के लिए दिया जायेगा। अंतिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का संबंधित डिग्गीयों एवं मछली पर कोई अधिकार नहीं होगा।
6. सफल निविदादाता को स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस में तथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। असफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा लिखित आग्रह पर अमानत राशि बिना ब्याज के लौटाई जाएगी।

7. सफल निविदादाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जाएगी।
8. सफल निविदादाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
9. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं फेक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
11. ठेकेदार द्वारा मछली पालने पकड़ने और रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा।
12. डिग्गीयों में मछली के बीज डालने, पालन/पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिए गये डिग्गीयों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र संबंधित गतिविधियां, कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से संबंधित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/ इस दशा में उसकी समस्त राशियां जब्त कर ली जाएगी।
14. यदि मछली पालने पकड़ने पर टैक्स/चूंगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/भूगतान ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्चे पर करना होगा।
15. डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था नहर के माध्यम से फार्म द्वारा की जाएगी किन्तु साधारणतय डिग्गीयों में संचयित पानी में से उपर से लगभग 3 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगा। शेष बचा हुआ पानी 3 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 3 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदादाता स्वयं के माध्यम से आवंटित डिग्गी में उचित पानी की व्यवस्था खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी की स्वकृति उपरांत फार्म पर उपलब्ध टयूबवैल चलाकर कर सकता है। जिसके लिए मार्च माह से जून माह तक टयूबवैल चलाने पर खर्च की रिकवरी बिजली विभाग द्वारा दिये गये बिल के अनुसार संबंधित निविदादाता एवं आउटसोर्सिंग किसान/फार्म से 30 एवं 70 प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी।
16. निविदादाता को ठेके पर दिये गये डिग्गीयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छुट प्राप्त करने हेतु किसी कार्यालय अथवा न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
17. मतस्य बीज संग्रहण, मछली पालन एवं पकड़ना, मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में (प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे) ही करना होंगे। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।

18. किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के संबंधित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
19. मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान निविदादाता अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल संपत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी तथा उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
21. निविदादाता को मतस्य विभाग द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। उक्त की अनुपालना ना करने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म के किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषेद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की अनुपालना नहीं करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि, डिग्गी में उपलब्ध मछली व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
24. निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। पूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा/बोलीदाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा/निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।
27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जाएगी।
28. मछली पालन एवं पकड़कर बेचने हेतु संबंधित निविदादाता पानी का आंतरिक व्यवसाय नहीं करेगा। इस तरीके की कोई भी घटना संज्ञान में आते ही उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा निविदादाता की धरोहर राशि, डिग्गी में उपलब्ध मछली व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
29. उक्त कार्य पर लगाए जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रुपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से तस्दीक करवाकर उसकी मूल प्रति फार्म को देगा तथा छायाप्रति जो कि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखाएगा।
30. ठेकेदार को मतस्य विभाग द्वारा जारी लाईसेंस को प्रस्तुत करना होगा।

31. रु 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नियम व शर्तों की स्वीकृति अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।
32. आर्बिट्रेशन:- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, के प्रावधानों के 1996 तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्षप्रबंधक निदेशक -सह- इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

(ARBITRATION- In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

घोषणा:-

मैंने फार्म में मछली पालने पकड़कर बेचने के ठेके की ई-निविदा की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता.....

.....

.....

.....

स्थान

दिनांक.....

Financial Bid

Diggi No.	Kind of Diggi	Block/chak no.	Number of Diggi	Offered Rate (In Rs.) During the year 2024-25 & 2025-26
1	Pakki Diggi	Block-1 (3 BGD)	1	
2	Pakki Diggi	Block-1 (1 BGM)	1	
3	Pakki Diggi	Block-2 (3 MGM)	1	
4	Pakki Diggi	Block-3 (5 MGM)	1	

Signature.....

Name.....

Father's name.....

Full Address.....

.....

.....

Mobile No.....